न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 13 सन 2014

अनवान :–

1. लादूराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर ।
2. मनीराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. बहादुरसिह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
4. महन्द्रसिह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
5. कष्ण कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर

सायलान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल गैरसायल

2. दलीपसिह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. बलवन्ती पुत्री आदराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
4. बिमला पुत्र आदराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
5. श्रीमति नानकोरी पत्नी आदराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
6. दसरथ पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
7. सावत्री पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
8. इन्द्रसिह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
9. सुभाष पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
10. शारदा पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
11. हरदत पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
12. गिरधारी पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
13. कालूराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
14. गीता पत्नी अमीलाल पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
15. जयवीर पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
16. दिलवार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
17. सरवती पत्नी मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
18. दयाराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहरष
19. भूपसिह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर

तरतीबी अप्राथीगण

प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी बाबत पूर्व स्थिति बहाल करने

उपस्थित :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी/सायल
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 09/12/25

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 6 जेएसएन के प0न0 370/384(107) के किला न0 6 ,7/2.00 बीधा 15 ता 17/4.00 बीधा , 24, 25/2.00 बीधा , प0न0 370/385 (108) के किला न0 8/4.00 बीधा कुल 12.00 बीधा भूमि जीवन व मनीराम पि0 मूलाराम को प0न0 370/393(98) के किला न0 17 ,24 ,25/3.00 बीधा , प0न0 370/384(107) के किला न0 4 ,5/2.00 बीधा कुल 5.00 बीधा भूमि लादूराम व मनीराम पि0 बस्तीराम को तथा प0न0 372/384(105) के किला न0 21 ता 24/4.00 बीधा , प0न0 371/384 (106) के किला न0 25 की 17 बिश्वा , 371/385(109) के किला न0 5 की 18 बिश्वा , 6 की 1 बीधा , कुल 6.15 बीधा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:43:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी

हसराम व आदराम को पुख्ता आवंटन की गई थी जो लगातार आवंटियो क कब्जा काश्त में चली आ रही थी

उक्त आंवटन आदेश की नजरसानी अनवानी सरकार बनाम रिखा आदि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के समक्ष पेश हुई जिसमें माननीय श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के द्वारा दिनांक 16.08.1971 का निर्णय पारित किया जाकर उक्त आवटन को खारिज किया जाकर रकबा जोहड पायतन दर्ज करने के आदेश पारित किये गये श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16.08.1971 की अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 29.11.1997 को अपील स्वीकार की जाकर उक्त रकबा बहाल करने के आदेश पारित किये गये थे।

अपीलान्ट जीवन हसराम व आदराम के फोत हो गये तथा प्रार्थीगण जो इनके वारिसान है को अपील के सम्बध में ज्ञान नही था कुछ समय पहले ही उक्त निर्णय का ज्ञान होने पर वकील से सम्पर्क किया जाने पर निर्णय का ज्ञान हुआ था

खातेदार हसंराम फौत हो चुका है जिसके वारिस तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 है आदराम फोत हो चुका है जिसके वारिस सायल संख्या 3 ,4 तथा गैरसायल संख्या 2 ता 5 है रामजीलाल भी फोत हो चुका है जिसके वारिसान सायल 5 व गैरसायल संख्या 7 ता 10 है जीवण भी फोत हो चुके है व उसका लडका अमीलाल भी फोत हो चुका है जिसके जायज वारिसान गैरसायल संख्या 11 ता 16 हे मनीराम पुत्र मूला के वारिस गेरसायल संख्या 17 ता 19 है।

राजस्व रिकार्ड में श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेशानुसार रकबा जोहड पायतन दर्ज हो चुका है इस आदेश को माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा निरस्त किया जा चुका है आवटि का आवंटन बहाल रखा गया है इसलिये पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर पुनः आवंटियो के नाम से भूमि दर्ज करवाने के अधिकारी है

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर चक 6 जेएसएन की भूमि की दिनांक 27.09.1977 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 2 ता 19 तरतीबी प्रतिवादी अंकित किये गये जिनका अनुतोष सायल में निहित है इसलिये इनको तलब नही किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज आंकर जबाब अंकित किया की रकबा वर्तमान में जोहड पायतन दर्ज है व मौके पर खाली है कृषि उपयोग में नही आ रहा है जबाब अंकित करने के उपरान्त उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि प्रार्थी एव तरतीबी अप्रार्थीगण के पूर्वजों को आवंटन की गई थी जिसे श्रीमान जिला कलक्टर श्रींगागनगर के आदेश के पालना में राजस्व रिकार्ड में जोहड पायतन दर्ज कर दिया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश करने पर श्रीमान जिला कलक्टर श्रींगगानगर का आदेश निरस्त कर आवंटन बहाल कर दिया गया था किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जोहड पायतन ही दर्ज चला आ रहा है जिसे निरस्त करवाकर दिनांक 27.09.1977 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करवाने के अधिकारी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:18 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए निवेदन किया की रकबा वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे जोहड पायतन दर्ज है तथा मौक पर खाली है काश्त नही की जा रही है ना ही कृषि उपयोग में आ रहा है प्रार्थी ने काफी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वर्षो के बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो मियाद बाहर है तथा प्रार्थी या उसके पूर्वजों ने उक्त भूमि को काश्त नही किया गया ना ही मौके पर कब्जा है इसी आधार पर ही प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रार्थी का कथन है कि उसके पूर्वजों को विधिवत भूमि आवंटन किया गया था जिसे श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के द्वारा निरस्त कर जोहड पायतन दर्ज किया गया था जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश करने पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय का आदेश जिसके द्वारा जोहड पायतन दर्ज किया गया था को निरस्त कर दिया गया है इसलिये श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे

प्रार्थी के कथन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ के द्वारा जोहड पायतन दर्ज करने व राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के द्वारा निरस्त करने की हद तक स्वीकार है किन्तु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 20 वर्षो के बाद वर्ष 2014 में पेश किया गया है देरीना का भी कोई सन्तोषप्रद जबाब नही दिया गया है

न्यायालय में प्रस्तुत किसी भी प्रार्थना पत्र की मियाद को देखा जाना सर्वप्रथम विधिसम्मत है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र समय पर पेश किया गया है या नही यदि देरीना से प्रस्तुत किया गया है तो उसका कोई सन्तोषप्रद कारण भी अंकित किया गया है या नही

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण बताना आवश्यक था परन्तु ना ही प्रार्थी द्वारा किये गये कथन साबित होते है ना ही सन्तोषप्रद है प्रार्थी का मात्र कथन है कि उनके पूर्वजो का देहान्त हो गया था इसलिये उसे अपील का ज्ञान नही थाी इसलिये देरीना हुई है तथा अपने कथनो के समर्थन में कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया है जो विधिसम्मत नही है प्रार्थी का दायित्व था कि अपने कथनो को साक्ष्यो के आधार पर साबित करता तथा न्यायालय हाजा में दायर प्रार्थना पत्र 20 वर्ष बाद पेश किया गया है इतनी लम्बी अवीध बाद पेश करने के कारण मियाद अधिनियम बिन्दू को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 2014 में पेश किया गया है जो लगभग 20 वर्षो के पश्चात पेश की गई इतनी लम्बी अवधि के बाद प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का पर्याप्त हैतुक नही दर्शाया गया है प्रार्थी द्वारा इतने अधिक वर्षों से हुई देरी का कोई पर्याप्त, संतोषजनक व विश्वसनीय कारण नहीं दर्शाया गया है। प्रकरण में गुण अवगुण पर निर्णय करने से पूर्व मियाद बिन्दु को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दिनांक 1997 के निर्णय की पालना में 1977 के नामान्तरण व उसके पश्चात की गई राजस्व रिकॉर्ड की कार्यवाही को प्रार्थना पत्र समरी ट्रायल के माध्यम से निर्णित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

पेरोकार राज के कथनानुसार वाद भूमि वर्तमान में खाली है कृषि उपयोग में नही आ रही है अर्थात वाद भूमि पर प्रार्थी या उसके परिवार का कब्जा नही है ना ही कभी काश्त की गई है कब्जा एव काश्त नही करने के आधार पर भी प्रार्थी न्यायालय से किसी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है

प्रार्थी या उसके पूर्वजो के द्वारा [illegible] नियमों की पालना करना भी नही पाया जाता है यदि पालना की होती [illegible] प्रार्थी या उसके पूर्वजो के द्वारा काश्त की जाती मौके पर भूमि खाली होने के [illegible] कभी भी राजकीय कार्य के उपयोग में ली जा सकती है प्रार्थी या उसके परि[illegible] का वाद भूमि पर किसी प्रकार का हक हिस्सा साबित नही होता है तथा ना ही किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:18 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्याधिक देरीना से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है देरीना का कोई प्रर्याप्त कारण भी व्यक्त नही किया गया है ना ही देरीना को साबित करने का कोई ठोस आधार /साक्ष्य पेश किया गया है वर्तमान में भूमि प्रार्थी या उसके परिवार के कब्जा काश्त में भी नही कब्जा के अभाव में भी प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है वर्तमान में जोहड पायतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात सार्वजनिक उपयोग की भूमि है मात्र कथनो के आधार पर सार्वजनिक उपयोग की भूमि प्रार्थी को नही दी जा सकती है ना ही पूर्व स्थिति बहाल करवाने के अधिकारी है

प्रार्थी के द्वारा देरीना से प्रार्थना पत्र पेश करने के सम्बध में मियाद प्रार्थना पत्र ही पेश नही किया गया है मात्र अपने प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी में देरीना का कारण व्यक्त किया गया है किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया गया है जो विधि सम्मत नही है मियाद प्रार्थना पत्र के अभाव में ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी अत्यंत देरी से पेश किये जाने के कोई संतोषप्रद कारण नहीं दर्शाने के कारण प्रार्थना पत्र मियाद अवधि से बाहर होने एंव वर्तमान में जोहड पायतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी को कोई हक हिस्सा व कब्जा काश्त में नही होने एवं आवंटन नियमों की पालना नही होने के कारण कानून की दृष्टि से बलहीन होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र. उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/12/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

Rahul
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 12:13:18 IST
Reason: SelfAttested